(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 53/2015–2020
नई दिल्ली दिनांक 01 जनवरी, 2020

विषयः छिलका युक्त काजू गिरी के आयात के मद्दे काजू गिरी सम्पूर्ण और काजू गिरी टुकड़ों के निर्यात हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.06 के तहत निर्धारित तदर्थ मानदंड में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार तदर्थ निविष्टि उत्पादन मानदंड में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

छिलका युक्त काजू गिरी के आयात के मद्दे काजू गिरी सम्पूर्ण और काजू गिरी टुकड़ों के निर्यात हेतु मैसर्स ओलम एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरूग्राम के संबंध में एएलसी कार्यवृत्त संख्या 8/19 दिनांक 20.07.2018, (मामला संख्या एम–78) द्वारा यथा अनुमोदित तदर्थ मानदंड को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः काजू गिरी सम्पूर्ण और काजू गिरी टुकड़ों हेतु एएलसी कार्यवृत्त संख्या 8/19 दिनांक 20.07.2018 द्वारा अनुमोदित तदर्थ मानदंड को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

अमित यादव
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल सं. 01/94/180/248/एएम–20/पीसी–4 से जारी)